

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी :- शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

दावा संख्या 70/2020

उनवान

सिकन्दर बनाम सलीम वगैर

सिकन्दर पुत्र स्व. कासम उम्र 40 साल जाति चैजारा मुसलमान निवासी मोहल्ला चैजारान
चैजारान कर्बला के पास झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

-वादी

बनाम

1. सलीम पुत्र स्व. कासम उम्र 48 साल
2. बिस्मील्ला पत्नी स्व. कासम उम्र 70 साल
3. आसमीन पुत्री स्व. कासम उम्र 55 साल
4. राबीया पुत्री स्व. कासम उम्र 53 साल
5. कलसुम पुत्री स्व. कासम उम्र 51 साल
6. जरीना पुत्री स्व. कासम उम्र 49 साल
7. नसरीन पुत्री स्व. कासम उम्र 38 साल
8. जनन्त उर्फ जना पत्नी स्व. मेहमुद कासम उम्र 48 साल
9. नसीम बानो पुत्री स्व. मेहमुद कासम उम्र 20 साल
10. गफुर पुत्र फतेहमोहम्मद उम्र 55 साल
11. ईसलाम पुत्र फतेहमोहम्मद उम्र 57 साल
12. असगर पुत्र फतेहमोहम्मद उम्र 49 साल
13. जमीला पुत्री फतेहमोहम्मद उम्र 45 साल
14. कलसुम पत्नी स्व. शोकत उम्र 52 साल
15. खालीद पुत्र स्व. शोकत उम्र 29 साल
16. वहीद पुत्र स्व. शोकत उम्र 20 साल
17. आमीना पुत्री स्व. शोकत उम्र 38 साल
18. उम्मेद बानो पुत्री स्व. शोकत उम्र 34 साल
19. तब्बसुम बानो पुत्री स्व. शोकत उम्र 32 साल
20. नसीम बानोपुत्री स्व. शोकत उम्र 36 साल
21. सरीना बानो पुत्री स्व. शोकत उम्र 30 साल
22. सलमा बानो पुत्री स्व. शोकत उम्र 28 साल
23. सिमा उर्फ समीम बानो पत्नी स्व. आबीद उम्र 44 साल
24. आबीदा बानो पुत्री स्व. आबीद उम्र 22 साल
25. जाबीदा बानो पुत्री स्व. आबीद उम्र 20 साल
26. तरन्नुम बानो पुत्री स्व. आबीद उम्र 18 साल
27. अब्दुल करीम पुत्र हुसैन उम्र 37 साल
28. हसन पुत्र हुसैन उम्र 38 साल
29. मजीद पुत्र हुसैन उम्र 49 साल
30. शबनम बानो पुत्री हुसैन उम्र 43 साल
31. मुख्तियार हुसैन पुत्र अब्दुल मजीद उम्र 38 साल

समस्त जाति चैजारा मुसलमान निवासी मोहल्ला चैजारान चैजारान कर्बला के पास
झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

32. राजस्थान सरकार तहसीलदार महोदय झुन्झुनू तह. व जिला झुन्झुनू।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता :-

1. श्री मो० कुर्बान :- वादी की ओर से।
2. श्री मो० साकिब :- प्रतिवादीगण की ओर से।

दावा बाबत घोषणार्थ एवं खाता विभाजन
निर्णय

दिनांक 14.02.2022

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2021 के द्वारा वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर कस्बा झुन्झुनू तहत तहसील झुन्झुनू के खसरा नम्बर 195, 196, 204 कुल किता 3 कुल रकबा 3.38 है० कृषि भूमि बाबत तहसीलदार झुन्झुनू 500 रुपये मौका फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया कि वह वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज हक हिस्से की सीमा तक मौके पर इनके कब्जे काश्त तथा मिट्स एंड बाउंडस के अनुसार पक्षकारों की मौजूदगी में माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर से प्राप्त परिपत्र की रोशनी में पक्षकारों के पहुंच मार्ग को ध्यान में रखते हुए विधिवत बंटवारा कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर 7 दिवस में इस न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में तहसीलदार झुन्झुनू ने पत्रांक राजस्व/2021/2472 दिनांक 17.11.2021 को विभाजन प्रस्ताव पर इस न्यायालय में पेश किया गया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव पर वकील पक्षकारान को सुना गया। वकील पक्षकारान ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद को अंतिम डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुसार है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः

आदेश

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तममिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 14.02.2022 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(शैलेश खैरवा)

उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)
न्यायालय उपखंड अधिकारी, झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी:—शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर:—70/2020

उनवान
सिकन्दर बनाम सलीमवगौ

दावा बाबत:—दावा बाबत घोषणार्थ एवं खाता विभाजन

दिनांक:— 14.02.2022

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मो० कुर्बान एवं प्रतिवादीगण की तरफ से अधिवक्ता श्री मो० साकीब उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि वह मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।


(शैलेश खैरवा)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	47
स्टाम्प वकालतनामा	46	स्टाम्प अर्जी दावा	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनतनामा वकील	
मेहनतनामा वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर	500	बाबत इजराय हुकमनाम	
बाबत इजराय हुकमनाम		मुतफरिक	
योग	550		47


उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू